न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर 212/2020 | तारीख दायर 15-10-2020 | तारीख फैसला 26/04/2022

उनवान

01. मनोज कुमार पुत्र श्री गजराज जाति अहीर निवासी मादीपुर, दिल्ली हालाबाद ग्राम नानगहेडी तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

———:: वादी

बनाम

01. नूरजहां पत्नी नारंगी (मृतक)
 1/1 मोहम्मद खां
 1/2 उमर मोहम्मद उर्फ लीला
 1/3 शरीफ उर्फ धोलू
 1/4 रज्जाक
 1/5 वली मोहम्मद पुत्रान स्व0 नूरजहॉ पत्नी नारंगी जातियान मेव निवासीगण रभाना तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)
2. श्रीमान् तहसीलदार साहब, तिजारा बहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

———:: प्रतिवादीगण

दावा तकासमा मय हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—:: निर्णय ::—

प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादी ने यह दावा तकासमा मय हुक्मइम्तनाई दवामी अन्तर्गत 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व दावा प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम रभाना तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान) में स्थित आराजी खसरा नम्बर 571 रकबा 0.2200 है0 बारानी–2 आराजी प्रस्तुत वाद में विवादित आराजी कहलावेगी। विवादित आराजी खसरा नम्बर 571 रकबा 0. है में मिन वादी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादियां संख्या 1 का 1/2 हिस्सा मुताबिक जमाबन्दी निहित, का अमल दरामद राजस्व रिकार्ड में हो रहा है। विवादित आराजी पर वादी एवं प्रतिवादियां संख्या 1 शामलात बिज काश्त है। विवादित आराजी मिन वादी एवं प्रतिवादियां संख्या 1 की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की है, जिस पर मिन वादी व प्रतिवादियां शामलात में काबिज – काश्त है। मिन वादी व प्रतिवादियां संख्या 1 य विवादित आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस आज तक कोई तकासमा नहीं हुआ है। राजस्व रिकार्ड दी में संयुक्त नाम के अंकन होने के कारण प्रतिवादियां आये दिन मिन वादी की कब्जे काश्त की आराजी में सत व मदाखलत पैदा करते है। जिससे अब मिन वादी विवादित आराजी खसरा नम्बर 571 रकबा 0.2200 है0 बिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी निहित अपने 1/2 हिस्सा को राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में तकासमा कराकर

लग कुर्रेजात कायम कराकर, अपना खाता अलग कराना चाहता है, जिस हेतु यह वाद पत्र तकारामा आराजी पेश रना लाजिम आया है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन तलब किया जाकर जवाब दावा प्रस्तुत करने का वसर प्रदान किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 तामील के उपरान्त अनुपस्थित रहे। अतः उनके विरूद्ध एकतरफा र्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 2 फोरमल पक्षकार है कोई राजहित निहित नहीं है। अतः जवाब रकार बन्द किया गया। वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र मनोज पुत्र श्री गजराज जाति अहीर निवासी ादीपुर दिल्ली हालाबाद ग्राम नानगहेडी तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान) पेश किया जो शामिल पत्रावली क़या गया। उपस्थित वकील वादी ने वाद को प्रारम्भिक डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण में दिनांक 15–02–2021 को प्रारम्भिक डिक्री जारी कर तहसीलदार तिजारा को मौका कमिश्नर नेयुक्त किया जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवारा स्कीम तैयार कर रिपोर्ट कुर्रे तलब की गई।

चूंकि तहसीलदार टपूकडा ने अपने पत्र कमांकः भू.अ./2022/5336 दिनांक 20–04–2022 के द्वारा प्रकरण ां कुर्रे रिपोर्ट प्रेषित कर दी थी। प्रार्थी अधिवक्ता ने मुताबिक कुर्रे रिपोर्ट फाईनल डिक्री किये जाने हेतु निवेदन केया। कुर्रे रिपोर्ट का अवलोकन किया। दावा फाईनल डिक्री किया जाना उचित है।

अतः दावा वादीगण फाईनल डिक्री किया जाता है निम्नानुसार आराजी खसरा नम्बर 571 रकबा 0.2200 है0 वाके ग्राम रभाना तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान) को फरीकैन के अनुसार खाता विभाजन के आदेश दिये जाते है।

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा
01.	मनोज कुमार पुत्र गजराज जाति अहीर सा. मादीपुर दिल्ली हाल आबाद नानगहेडी खातेदार	571/1	0.11
02.	नूरजहां पत्नी नारंगी जाति मेव सा. देह खातेदार	571/2	0.11

तकसीम शुद्वा नक्शा फाईनल डिक्री का जुज होगा। राजस्व रिकाई में उपरोक्तानुसार अमल किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी के0 राम यादव (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
212/2020	15-10-2020	15/02/21

उनवान

1. मनोज कुमार पुत्र श्री गजराज जाति अहीर निवासी मादीपुर, दिल्ली हालाबाद ग्राम नानगहेडी तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

----:: वादी

बनाम

01. नूरजहां पत्नी नारंगी (मृतक)
    1/1 मोहम्मद खां
    1/2 उमर मोहम्मद उर्फ लीला
    1/3 शरीफ उर्फ धोलू
    1/4 रज्जाक
    1/5 वली मोहम्मद पुत्रान स्व0 नूरजहॉ पत्नी नारंगी जातियान मेव निवासीगण रभाना तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)
02. श्रीमान् तहसीलदार साहब, तिजारा बहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

-----:: प्रतिवादीगण

दावा तकासमा मय हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: निर्णय ::–

प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादी ने यह दावा तकासमा मय हुक्मइम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व दावा प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ...के ग्राम रभाना तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान) में स्थित आराजी खसरा नम्बर 571 रकबा 0.2200 है0 किस्म बारानी-2 आराजी प्रस्तुत वाद में विवादित आराजी कहलावेगी। विवादित आराजी खसरा नम्बर 571 रकवा 0.2200 है में मिन वादी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादियां संख्या 1 का 1/2 हिस्सा मुताबिक जमाबन्दी निहित, जिसका अमल दरामद राजस्व रिकार्ड में हो रहा है। विवादित आराजी पर वादी एवं प्रतिवादियां संख्या 1 शामलात में काबिज काश्त है। विवादित आराजी मिन वादी एवं प्रतिवादियां संख्या 1 की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है, जिस पर मिन वादी व प्रतिवादियां शामलात में काबिज – काश्त है। मिन वादी व प्रतिवादियां संख्या 1 के मध्य विवादित आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस आज तक कोई तकासमा नहीं हुआ है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संयुक्त नाम के अंकन होने के कारण प्रतिवादियां आये दिन मिन वादी की कब्जे काश्त की आराजी में मजाहमत व मदाखलत पैदा करते है। जिससे अब मिन वादी विवादित आराजी खसरा नम्बर 571 रकबा 0.2200 है0

उपखण्ड अधिकारी

...मिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी निहित अपने 1/2 हिस्सा को राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में तकासमा कराकर ...क्रेआत कायम कराकर, अपना खाता अलग कराना चाहता है, जिस हेतु यह वाद पत्र तकासमा आराजी पेश ...लाजिम आया है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन तलब किया जाकर जवाब दावा प्रस्तुत करने का ...र प्रदान किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 तामील के उपरान्त अनुपस्थित रहे। अतः उनके विरुद्ध एकतरफा ...ाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 2 फोरमल पक्षकार है कोई राजहित निहित नहीं है। अतः जवाब ...र बन्द किया गया। वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र मनोज पुत्र श्री गजराज जाति अहीर निवासी ...ुर दिल्ली हालाबाद ग्राम नानगहेडी तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान) पेश किया जो शामिल पत्रावली ... गया। उपस्थित वकील वादी ने वाद को प्रारम्भिक डिकी किये जाने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। वाद में संलग्न जमाबन्दी संवत 2076 से 2079 में पक्षकारान वादी, ...ादीगण संख्या 1 उक्त आराजीयात के सहखातेदार है। आराजी का तकासमा किया जाना न्यायोचित है।

अतः वाद वादीगण प्रारम्भिक डिकी किया जाकर तहसीलदार तिजारा को आदेशित किया जाता है कि वे ...दित वाके ग्राम रमाना तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान) में स्थित आराजी खसरा नम्बर 571 रकबा 0. ... है0 किस्म बारानी–2 का मौके पर जाकर फरीकैन की उपस्थिति में बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर ...ारा स्कीम तैयार कर न्यायालय को कुर्रे रिपोर्ट आगामी तारीख पेशी से पूर्व आवश्यक रूप से प्रेषित करें। ...वली दिनांक 27/02/21 को पेश हो।

आदेश सुनाया गया।

15/02/21

(के0 राम यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)